कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 /55स0सु0/2014–2016 लखनऊः दिनांक– 18.02.2016

1. अपर परिवहन आयुक्त (पश्चिम) मेरठ, (पूर्वी) लखनऊ, (मध्य) कानपुर।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश।

विषयः–**केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 138 (4)(f) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार हेलमेट की आपूर्ति वाहन निर्माता/डीलर द्वारा वाहन के क्रय के समय क्रेता को किये जाने के सम्बन्ध में।**

आप अवगत हैं कि उपरोक्त नियमावली, के 138 में (4)(f) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है–

"at the time of purchase of the two wheeler, the manufacturer of the two wheeler shall supply a protective headgear conforming to specifications prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):
Provided that these conditions shall not apply to category of persons exempted in terms of Section 129 and the rules made there under by the concerned State Government.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन के निर्माता/डीलर द्वारा वाहन का क्रय किये जाने के समय क्रेता को आई0एस0आई0 मार्क वाले हेलमेट की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है।

2– उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में उक्त नियमावली, के उक्त प्राविधान की सम्वैधानिकता को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या (c)1538/2006 ALL INDIA HELMET MANUFACTURERS ASSN. & ORS. versus UOI & ORS तथा रिट याचिका संख्या 7769/2009 SOCIETY FOR AWARENESS AND DEVELOPMENT versus UOI & ORS. दायर की गयी थी। उक्त दोनो याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने दिनांक 30.07.2009 को निम्न कतिपय निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया गया है–

"8 In our opinion, impugned sub-rule casts an obligation on the manufacturer to supply protective headgear conforming to BIS standards and the said responsibility can not be passed on to the dealer. However, as sale of two wheelers is carried out by a manufacturer through a dealer and the sizes of the protective headgear are different, in our view, it is for the manufacturer to arrive at an arrangement with the dealer who actually in law is an agent of the manufacturer to ensure compliance with the impugned sub-rule.

"9 To ensure that the impugned sub-rule is actually implemented at the ground level, we direct that when an application is made for registration of a motor vehicle under Rule 47 of the Rules, 1989, the dealer would have to certify that protective headgear conforming to the Bureau of Indian Standards has been supplied to the purchaser of a two wheeler vehicle"

3– उक्त रिट याचिका में दिये गये निर्णय के पश्चात वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। हेलमेट की आपूर्ति निर्माता/डीलर के स्तर पर किया न केवल किया जाना अनिवार्य है, बल्कि वाहन के पंजीयन के समय डीलर द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि दो पहिया वाहन के क्रेता को बी0आई0एस मानक के हेलमेट की आपूर्ति कर दी गई है।

4– माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के प्रस्तर 3 (पृष्ठ संख्या 5) पर स्पष्ट किया है कि "Having heard the parties and perused the affidavits, we are of the view that the impugned sub-rule furthers the intent of Act 1988 in so far as it promotes safety of two wheeler riders. The predominant purpose and intent behind incorporating impugned sub-rule is to avoid fatal and serious accidents. In fact, in our view, the impugned sub-rule is in conformity with the Act 1988, as it implements the mandate of Sections 110 and 129 of the Act 1988."

5– उपरोक्त से स्पष्ट है कि गाडी की सप्लाई क्रेता को करते समय डीलर/निर्माता द्वारा बी0आई0एस0 मानक के हेलमेट की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है, परन्तु मुख्यालय के संज्ञान में यह आया है कि नियमावली के उक्त प्राविधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में दो पहिया वाहनों के निर्माताओं/डीलरों द्वारा क्रेताओं को उपरोक्त मानक के अनुरूप हेलमेट की आपूर्ति किय बिना ही दो पहिया वाहन बेचा जा रहा है। इससे एक ओर तो नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है, दूसरी ओर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, और वहीं हेलमेट का उपयोग न करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली, के नियम 138 में (4)(f) किये गये उपरोक्त प्राविधानो तथा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा दिये निर्णय के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाये कि दो पहिया वाहन के निर्माताओं/डीलरों को तद्नुसार बी0आई0एस0 मानक के हेलमेट की आपूर्ति वाहन के सुपुर्दगी के समय अवश्य किया जाये। यदि निर्माता/डीलर द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो पंजीयन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988/केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के संगत नियमों में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माता/डीलर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यावाही सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छाया प्रति।

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन सं0–3\५(1)55स0सु0/2014 –समदिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रेदश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. उत्तर प्रदेश वाहन डीलर एसोसिएसन, लखनऊ।
6. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण (परिवहन आयुक्त को छोड़कर)।
7. गार्ड फाइल।

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।